पात्रता होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाने के कुछ कारण

पात्रता होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाने के कुछ कारण

हम इस दस्तावेज़ के ज़रिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनके कारण लोग पात्रता होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।

पात्रता होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं से "बहिष्करण" यानी लाभ नहीं मिल पाने हमारा क्या मतलब है।

इसके बाद हम उन अलग-अलग कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनके कारण लोग पात्रता होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।

कल्याणकारी कार्यक्रमों में से बाहर हो जाने को दो अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है।

1. नामांकन के स्तर पर बाहर किया जाना यानी, योजना के दिशानिर्देशों के हिसाब से योजना के लिए पात्र होने के बावजूद किसी विशेष योजना के लिए नाम नहीं लिखा पाना।
2. नामांकन होने के बावजूद फायदे तक पहुंच या फायदा मिलने के स्तर पर बाहर हो जाना यानी योजना के लिए नाम लिखाए जाने के बावजूद किसी विशेष योजना के फ़ायदे न ले पाना।

दूसरी श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग उप-श्रेणियाँ हो सकती हैं। (जैसे, उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को किसी विशेष योजना में कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, जबकि कुछ लोग अलग-अलग कारणों से योजना से केवल आंशिक फ़ायदा ही प्राप्त कर पाते हैं)।

इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित पांच प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। ये पाँच कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन वितरण।
3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन
4. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) यानी मातृत्व अधिकार।
5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN)

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

1.1 मिलने वाला लाभ: ग्रामीण परिवारों के सभी वयस्कों को (काम की मांग के आधार पर) केंद्र सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी दर पर सालाना 100 दिन का रोजगार।

1.2 नाम लिखाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	काग़ज संबंधित	ज़रूरी कागज़ात न होने के कारण जॉब कार्ड न मिल पाना	1. आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है 2. बैंक खाता (पास बुक) नहीं है 3. आधार कार्ड/ पहचान पत्र में उम्र गलत लिखी हुई है 4. अगर बैंक खाता इस्तेमाल में नहीं है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है
2	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	प्रासंगिक दस्तावेजों के आपस में मेल न खाने के कारण जॉब कार्ड नहीं मिलना	1. आधार कार्ड और बैंक खाते में लिखे हुए नाम का मेल न खाना।

3	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	स्थानीय क्षेत्र में जॉब कार्ड जारी करने पर रोक	1. स्थानीय प्रशासन आंतरिक कारणों से नये जॉब कार्ड जारी नहीं कर रहा है या नए नाम नहीं जोड़ रहा है।
4	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड हटा दिया गया	जॉब कार्ड को अलग-अलग कारणों से हटा दिया जाता है- 1. हाल ही में सामने आए प्रमुख कारणों में से एक यह है कि आधार आधारित अनिवार्य भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में तेजी लाने के लिए प्रशासन निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% आधार को जोड़ने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे सही जॉब कार्डों को भी हटा देता है। 2. जमीनी स्तर पर काम करने वालों द्वारा अनजाने में जॉब कार्ड को गलत तरीके से/ भूलवश हटा दिया गया।
5	जागरूकता के स्तर पर	जॉब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया गया	1. नागरिक को योजना या उसकी पात्रता के बारे में जानकारी नहीं है

1.3 नामांकन होने के बावजूद पूरा फायदा न मिल पाने के संभावित कारण :

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	काग़ज संबंधित	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. आधार कार्ड और जॉब कार्ड में नाम मेल नहीं खा रहे हैं
2	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. पिछले तीन सालों में उस जॉब कार्ड से कोई काम न मिलने के कारण जॉब कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया।
3	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. जॉब कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है
4	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. आधार कार्ड किसी बैंक खाते से नहीं जुड़ा हुआ है
5	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. पंचायत सदस्य/स्थानीय प्रशासन द्वारा काम की मांग स्वीकार नहीं करना/काम की मांग के अनुरूप तारीख लिखी हुई रसीद उपलब्ध नहीं कराना।
6	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. स्वीकृत योजनाओं की अनुपलब्धता के कारण स्थानीय प्रशासन काम उपलब्ध नहीं करा रहा है।
7	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. ठेकेदार ने ठीक से माप नहीं की

8	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	1. प्रशासन द्वारा वेतन सूची तैयार नहीं की गई। 2. प्रशासन ने पैसे का हस्तांतरण आदेश तैयार नहीं किया। 3. पैसा हस्तांतरण आदेश पर प्रथम या/और द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए गए।
9	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ/ अयोग्य आचरण	काम तो किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया	4. ई-मस्टर रोल/NMMS ऐप पर नाम पंजीकृत नहीं है
10	जागरूकता स्तर	जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा	जागरूकता न होना / जॉब कार्ड किसी और के पास या ठेकेदारों के पास पड़ा होना
11	प्रक्रिया से जुड़ा हुआ / तकनीकी गड़बड़ी	काम तो किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया	1. ठेकेदार द्वारा मस्टर रोल/ NMMS ऐप में उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं की गई
12	प्रक्रिया से जुड़ा हुआ / तकनीकी	काम तो किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया	1. बैंक खाते और आधार आपस में सही तरह से नहीं जुड़े होने के कारण भुगतान राशि दूसरे लोगों के बैंक खाते में जा रही है
13	प्रक्रिया से जुड़ा हुआ/ तकनीकी	काम तो किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया	1. भुगतान अस्वीकृत होना। लिबटेक के अध्ययन से पता चलता है कि भुगतान अस्वीकृत होने के कई कारण हो सकते हैं। 2. इसका एक बड़ा कारण "निष्क्रिय आधार" है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख कारण यह है कि आधार आधारित भुगतान शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारण से बैंक ने आधार को डीलिंक कर दिया है।
14	भ्रष्टाचार	काम तो किया लेकिन पूरा भुगतान नहीं हो पाया	3. किसी दूसरे के जॉब कार्ड के तहत काम करना और जॉब कार्ड धारक से आंशिक रूप से नकद भुगतान ले लेना।
15	प्रणालीगत/ प्रशासनिक	काम तो किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया	4. केंद्र सरकार अलग-अलग कारणों से पैसा जारी नहीं कर रही है

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2.1 मिलने वाला लाभ: ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी दो श्रेणियों के तहत ज़्यादा सब्सिडी/मुफ्त खाद्यान्न पाने की हकदार है। ये योजनाएं हैं- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) में नामांकित हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम ।

2.2 नामांकन के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	काग़ज संबंधित	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. यदि परिवार के किसी सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका नाम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

2	काग़ज संबंधित	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. यदि दिया गया मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा
3	काग़ज संबंधित	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. एक परिवार के सदस्य के आधार कार्ड में लिखा हुआ पता परिवार के दूसरे सदस्य के आधार कार्ड में लिखे हुए पते से मेल नहीं खा रहा है।
4	काग़ज संबंधित	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. यदि दिया गया बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा
5`	काग़ज संबंधित	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. अलग-अलग कागजातों में दी गई जानकारी का आपस में मेल न खाना, जैसे आधार और निवास प्रमाणपत्र में अलग-अलग नाम।
6	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. आवेदन के बाद, यह अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों से गुजरता है और अक्सर कई महीनों, यहां तक कि सालों तक 'अनुमोदन लंबित' के रूप में अटका रहता है।
7	प्रणालीगत	राशन कार्ड अस्वीकृत/ राशन कार्ड में नया व्यक्ति जोड़ने से इंकार	1. एनएफएसए 2013 के अनुसार, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाना है। प्रशासन इसे 2011 की जनगणना के अनुसार ब्लॉक स्तर पर बनाए रखता है। यदि वह लक्ष्य/कोटा पूरा हो जाता है, तो प्रशासन किसी नए आवेदन पर विचार नहीं करता है।

2.3 फ़ायदा दिए जाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	नीति स्तर	अनाज उपलब्ध न होना	1. यदि कोई परिवार छह महीने से ज़्यादा समय तक अनाज नहीं लेता है, तो कार्ड अस्वीकृत हो सकता है
2	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	अनाज उपलब्ध न होना	1. स्टॉक न होने के कारण अनाज की आपूर्ति नहीं हो सकी
3	तकनीकी गड़बड़ी	अनाज उपलब्ध न होना	1. POS मशीन पर अँगुलियों के निशान पढ़ने में नहीं आ रहे /मिलान नहीं हो रहा
4	अयोग्य आचरण	अनाज/ पूर्ण अधिकार का लाभ न उठाना	डीलर द्वारा अनाज की आपूर्ति में कटौती/ अनुपलब्धता

3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन

3.1 मिलने वाला लाभ:

3.1.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) - बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी आयु 60 - 79 साल है, उन्हें 200 रुपये और यदि आवेदक की आयु 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे 500 रुपये हर महीने मिलेंगे।

3.1.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) – बीपीएल परिवार की 40 साल या उससे ज़्यादा आयु की विधवा को हर महीने 300 रुपये और 80 साल की उम्र होने के बाद, हर महीने 500 रुपये मिलेंगे।

3.1.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)- बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी विकलांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, धारा 2 (जेडसी) के अनुसार है और उम्र 18-79 साल से ज़्यादा है, उन्हें हर महीने 300 रुपये मिलेंगे। 80 साल की उम्र होने के बाद आवेदकों को हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। बौने लोग भी इस पेंशन के लिए पात्र होंगे।

3.2 नामांकन के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	काग़ज संबंधित	नामांकन न होना	1. आधार और ईपीआईसी कार्ड में आयु/नाम का मेल न होना।
2	काग़ज संबंधित	नामांकन न होना	1. बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है
3	नीति के स्तर पर	नामांकन न होना	1. बाहर किए जाने के मानदंडों में से एक यह है कि परिवार के पास दोपहिया मोटर साइकिल नहीं होनी चाहिए। कई जरूरतमंद परिवारों के पास दोपहिया वाहन होते हैं और उसके आधार पर सत्यापन अधिकारी आवेदन को खारिज कर देते हैं।
4	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	नामांकन न होना	1. जिला स्तरीय कोटा पूरा हो गया।

3.3 फ़ायदा दिए जाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	पेंशन जमा नहीं हुई	निष्क्रिय बैंक खाता
2	प्रणालीगत/ नीति स्तर	पेंशन अनियमित	पैसे बांटने में केंद्र सरकार की अनियमितता
3	तकनीकी गड़बड़ी	पेंशन जमा नहीं हुई	1. भुगतान अस्वीकृत 2. गलत भुगतान * एक बार किस्त रोक दिए जाने पर, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई और किस्त नहीं मिलेगी।

4. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) यानी मातृत्व अधिकार

4.1 मिलने वाला लाभ: पहले बच्चे के जन्म पर कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ। (बच्चे के जन्म से पहले और बाद में तीन अलग-अलग किश्तें मिलेंगी)।

4.2 नामांकन के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	तीन किस्तों में से एक भी क़िस्त नहीं मिली	1. आवेदक ने अंतिम मासिक धर्म (एलएमपी) की तिथि से 150 दिनों के भीतर अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में अपनी गर्भावस्था को पंजीकृत नहीं किया है या पंजीकरण ठीक से नहीं किया है। 2. एक भी प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) नहीं की है या पंजीकरण ठीक से नहीं किया है। 3. टीकाकरण कार्यक्रम का पालन नहीं किया है या पंजीकरण ठीक से नहीं किया है
2	तकनीकी गड़बड़ी	किस्तें नहीं मिलीं	1. भुगतान अस्वीकृत 2. गलत जगह भुगतान किया गया 3. भुगतान कतार में है।* एक बार किस्त रोक दिए जाने पर, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई और किस्त नहीं मिलेगी।

4.3 फ़ायदा दिए जाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN)

5.1 मिलने वाला लाभ: भूमिधारक किसानों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय फ़ायदा।

5.2 नाम लिखाए जाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	काग़ज संबंधित/ जागरूकता के स्तर पर	आवेदन नहीं इसलिए पंजीकरण नहीं हो पाना	जमीन पूर्वजों के नाम पर है और जमीन वितरित नहीं की गई है/ व्यक्ति को योजना की जानकारी नहीं है
2	काग़ज संबंधित	पंजीकरण नहीं हो पाना	काग़ज़ात आपस में मेल न खाना, जैसे आधार और ज़मीन के काग़ज़ात के बीच नाम का मेल न होना।
3	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	पंजीकरण नहीं हो पाना	'आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम' (एपीबीएस) को चालू करने के लिए आधार को बैंक खाते को जोड़ा नहीं गया है
4	प्रशासनिक/ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ	पंजीकरण नहीं हो पाना	ग्राम पंचायत द्वारा दावे का सत्यापन न करना/ प्राथमिकता न देना

5.3 फ़ायदा दिए जाने के स्तर पर बाहर किया जाना और उसके संभावित कारण:

क्रमांक	बाहर किए जाने का प्रकार	जानकारी	संभावित कारण
1	प्रणालीगत	किस्तें न मिलना	1. केंद्र किस्तों का वितरण नहीं कर रहा है
2	तकनीकी गड़बड़ी	किस्तें न मिलना	भुगतान अस्वीकृत गलत भुगतान * एक बार किस्त रोक दिए जाने पर, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई और किस्त नहीं मिलेगी।

अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन

नंबर 134, डोड्डाकनेल्ली, सरजापुर रोड,
विप्रो कॉर्पोरेट ऑफिस के बगल में,
बेंगलुरु – 560035

+91 80 6614 4900/01/02

फेसबुक: /azimpremjifoundation

azimpremjifoundation.org